न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉखला, आर0 ए0 एस0)

:– दो अपीलें:–

पहली अपील:–

'---------

अपील संख्या :– 8/17 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. कुलदीप पुत्र रघुवीर

2. महाराम पुत्र उमदा जातियान अहीर निवासीयान ग्राम मोलावास त्हसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

3. धर्मपाल पुत्र जयनारायण

4. महिपाल पुत्र जयनारायण

5. बर्फी पत्नि जयनारायण

6. सावित्री पुत्री जयनारायण

7. श्रवण देवी पत्नि जयनारायण

जातियान अहीर निवासीयान ग्राम कालूका तह0 मुण्डावर अलवर

:---- ---- अपीलांटस

बनाम

1 चिरन्जीलाल पुत्र भगवान सिंह

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2 मिश्री लाल पुत्र यादराम
3 सरजीत पुत्र यादराम
4 देशराम पुत्र ओमकार
5 उदयराम पुत्र ओमकार
6 लालाराम पुत्र साधुराम
7 दयाराम पुत्र रामदयाल
8 बाबूलाल पुत्र रामदयाल
9 राजाराम पुत्र रामदयाल
10 प्रभात पुत्र रामदयाल
11 श्योबाई पत्नी राजेन्द्र
12 राजवीर पुत्र रामप्रसाद सभी जाति अहीर निवासी ग्राम कारोडा तहसील बहरोड जिला अलवर राज0
13 अलाईड उधोग कारोड
14 कमला पत्नी राजाराम
15 सरबाई पत्नी मूलचन्द
16 दलीप पुत्र सुखदेव
17 भूपसिंह पुत्र सुखदेव
18 कृष्णा देवी पत्नी वेदप्रकाश
19 राजेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश नाबालिग
20 सुनिल पुत्र वेदप्रकाश नाबालिग जरिये सरपरस्त माता कृष्णा सभी जाति अहीर निवासी ग्राम कारोडा तह0 बहरोड
21 उप पंजीयक बहरोड जिला अलवर
22 तहसीलदार बहरोड बहैसियत भूमिधारी

:---- असल रेस्पो0

23 लालाराम पुत्र मक्खन
24 गुलजारी पुत्र मक्खन
25 लीलाराम पुत्र रामचन्दर सभी जाति अहीर निवासीयान ग्राम कारोडा तहसील बहरोड जिला अलवर

:---- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिकी उपखंड अधिकारी बहरोड दिनांक 3.10.2016

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री अजीत यादव

2. वकील रेस्पो0 :- श्री महेश कुमार गोठवाल

दूसरी अपील :-

अपील संख्या :- 30/17 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. लालाराम पुत्र मक्खन

2. गुलजारी पुत्र मक्खन

3. लीलाराम पुत्र रामचन्दर जातियान अहीर निवासीयान ग्राम कारोडा तहसील बहरोड जिला अलवर ।

:------ अपीलांटान

बनाम

1 चिरन्जी पुत्र भगवान सिंह
2 मिश्री लाल पुत्र यादराम
3 सरजीत पुत्र यादराम
4 देशराम पुत्र ओमकार
5 उदयराम पुत्र ओमकार
6 लालाराम पुत्र साधुराम
7 दयाराम पुत्र रामदयाल
8 बाबूलाल पुत्र रामदयाल
9 राजाराम पुत्र रामदयाल
10 प्रभात पुत्र रामदयाल
11 श्योबाई पत्नी राजेन्द्र
12 राजवीर पुत्र रामप्रसाद सभी जाति अहीर निवासी ग्राम कारोडा तहसील बहरोड जिला अलवर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

13 अलाईड उधोग कारोडा

14 कमला पत्नी राजाराम

15 सरबाई पत्नी मूलचन्द

16 दलीप पुत्र सुखदेव

17 भूपसिंह पुत्र सुखदेव

18 कृष्णा देवी पत्नी वेदप्रकाश

19 राजेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश

20 सुनिल पुत्र वेदप्रकाश

नाबालिग जरिये सरपरस्त माता कृष्णा देवी सभी जाति अहीर निवासी ग्राम कारोडा तहसील बहरोड जिला अलवर

21 उप पंजीयक बहरोड जिला अलवर

22 तहसीलदार बहरोड बहैसियत भूमिधारी

:------ असल रेस्पो0

23 कुलदीप पुत्र रघुवीर

24 महाराम पुत्र उमदा जातियान अहीर निवासीयान ग्राम मोलावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर

25 धर्मपाल पुत्र जयनारायण

26 महिपाल पुत्र जयनारायण

27 बर्फी पत्नी जयनारायण

28 सावित्री पुत्री जयनारायण

29 श्रवण देवी पत्नी जयनारायण जातियान अहीर निवासीयान ग्राम कालूका तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

:----- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री उपखंड अधिकारी, बहरोड दिनांक 3.10.16

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री अनिल गुप्ता

2. वकील रेस्पो0 :- श्री महेश कुमार गोठवाल

16/.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय

दिनांक 12.03.2021

----

1 उपरोक्त दोनों अपीलों में विवादित आराजीयात एक समान है, पक्षकार भी एक समान है तथा एक ही अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ प्रस्तुत की गई है । अतः इन दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत में वाद संख्या 860/15 वाद पत्र में वर्णित आराजीयात का तकासमा कराने हेतु प्रस्तुत हुआ । जिसमें अपीलाधीन निर्णय द्वारा अंतिम डिक्री पारित की गई है । उक्त अंतिम डिक्री के खिलाफ उपरोक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी का पक्षकारान ने मौके पर बाहमी बटवारा किया हुआ है तथा उक्त बाहमी बंटवारे के अनुसार पक्षकारान काबिज है । पुनः बटवारा किये जाने की जरूरत नहीं है । अपीलांट को सूचित किये बिना ही कैम्प में प्राथमिक डिक्री पारित कर दी और कुर्रेजात रिपोर्ट लेकर अंतिम डिक्री पारित कर दी । स्वयं तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट नहीं बनाई गई है । पक्षकारान द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया । विभाजन में तकासमा के नियमों की पूर्ण पालना नहीं की गई है । अतः हर दोनों अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि तहसीलदार द्वारा रेकार्ड एवं मौका अनुसार रिपोर्ट बनाई गई है । आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया गया है । तहसीलदार द्वारा बनाई गई विधिसम्मत रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की गई है । उन्होंने आगे तर्क दिये कि यह अपील मियाद बाहर है । अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि मियाद बिन्दू पर न्यायालय को नरम रूख अपनाना चाहिये तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में नरम रूख अपनाया जाता है तथा देरी को माफ किया जाता है ।

6 इसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया । पत्रावली में संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट अपीलांटस की गैर मौजूदगी में बनाई गई है । साथ ही यह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर नहीं बनाई गई है । सभी सह खातेदारों को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है । विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 में उल्लेखित किया गया है कि स्वयं तहसीलदार मौके पर जाकर सभी पक्षकारों की मौजूदगी में कुर्रजात रिपोर्ट बनावें । इन नियमों में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि सभी सह खातेदारों को विभाजन के वाद में पक्षकार बनाया जाना चाहिये । इस प्रकार सिद्ध है कि तहत अदालत द्वारा विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदेश है कि हर दोनों अपील अपीलांट आंशिक रूप से तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 3.10.16 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो प्रकरण में विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 पालना करते हुये पुनः निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई दिनांक 12.04.21 को उपस्थित हो।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो

(अशोक कुमार सॉखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर